25.9.2025 दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थना पत्र वास्ते प्रकरण की कार्यवाही
स्थगित करने बाबत पर बहस सुनी
गई श्री वकील अप्रार्थी ने दौराने बहस
निवेदन किया था कि वादी की ओर से
वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस्तगासा
प्रकरण पेश किया गया हो उक्त भूमि
के संबंध में मा० राज० उच्च न्यायालय जोधपुर
में प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। लिखें

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

| हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|
| पक्षकाराह व विवादित भूमि का नम्बर होने के कारण हस्तगत प्रकरण में कार्यवाही नहीं हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की जावें।<br><br>इसके विपरीत वकील वादी की बहस की, कि प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश की गई है। क्योंकि वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश किया गया है, जो मा० राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन अपील से संबंधित नहीं है और मा. राज. उच्च न्यायालय में विचाराधीन अपील में वादग्रस्त भूमि के तनाजा होना का उल्लेख नहीं है। प्रतिवादी केवल प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अतः प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।<br><br>हमने दोनो पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई थी और प्रश्न पर मनन किया तथा पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। हमने पाया कि वादी की ओर से वादग्रस्त भूमियों में खातेदारी खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष स्व. श्री हिम्मतसिंहजी का गोद पुत्र होने के आधार पर चाहा गया है, जो कि गोद पुत्र डिक्री जिला एवं | |

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज | |
|---|---|---|
| | सेशन न्यायालय बालोतरा के निर्णय दिनांक 30.10.2003 के द्वारा प्राप्त हुई थी। उक्त निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 व 2 की ओर से प्रथम अपील पेश की गई, जो मुकदमा संख्या 188/2004 उन्वान नरेन्द्रकुमार बनाम गजेन्द्रसिंह पोता माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन होना बताया है उक्त प्रकार जोधपुर के निर्णय एंव डिक्री के विरूद्ध माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर में अपील चल रही है, तो हस्तगत प्रकरण भी जोधपुर के आधार पर स्वत्वधारी घोषणा का पेश किया गया है। इस कारण हस्तगत प्रकरण की कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि मा० उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है ऐसी सूरत में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाकर प्रकरण की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन अपील में निर्णय नहीं होने तक उक्त प्रकरण की कार्यवाही स्थगित रखी जाती है। माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपील में पारित निर्णय के उपरांत उक्त प्रकरण में कानूनी कार्यवाही होगी।<br><br>पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(S.D.O.) बालोतरा | |